राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2347/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
हरिपाल म.न. 352, चैथमाता गली, मकबरा बाजार, घंटाघर, कोटा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 16-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री देवराज मीणा, संयुक्त निदेशक प्रशासन उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-06-2017 के द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के संबंध में एवं अन्य विषयों से संबंधित कुल 18 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा जो सूचना चाही गई है वह प्रत्यर्थी के कार्यालय के अलावा विभिन्न अन्य कार्यालयों से संबंधित है तथा चाही गई सूचना वृहद् है जिससे कार्यालय के संसाधनों का विचलन होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के अनुसार यह सूचना देय नहीं है। प्रथम अपील का कोई निर्णय प्रत्यर्थी को प्राप्त नहीं हुआ है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 20-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 06-7-2017 संलग्न किया गया है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते है कि निर्णय प्राप्त होने के 21 दिवस में अपीलार्थी के आवेदन में वांछित सूचना जो राज्य लोक सूचना अधिकारियों के नियुक्ति से संबंधित है के बाबत प्रत्यर्थी कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड की प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क जरिये रजिस्टर्ड डाक उपलब्ध

कराई जावे। अन्य राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी स्वतंत्र है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अनुसार वांछित सूचना जिस कार्यालय में संधारित है उस कार्यालय को ही आवेदन करना चाहिए।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त